यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम् श्रीमती भंवर बाई वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5528/1999)

18.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री प्रशान्त शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

प्रतिपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. ने इस रिट याचिका में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां के आदेश दिनांक- 28.7.1999 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिपक्षी/दावेदारान् के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-140, मोटर यान अधिनियम को निस्तारित करते हुए प्रतिपक्षी/दावेदारान् को 50,000/-रूपये की राशि अन्तरिम क्षर्तिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

प्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी/दावेदारान् का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 166, मोटर यान अधिनियम पोषणीय नहीं है, अत: प्रतिपक्षी/दावेदारान् द्वारा धारा- 140, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि मृतक तृतीय पक्ष की परिभाषा में नहीं आता था तथा बीमा पॉलिसी में मृतक की जोखिम के बाबत् कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी बीमा कम्पनी उक्त बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए दायी नहीं है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को आद्योपांत सुना तथा पत्रावली पर

उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया।

जो तर्क विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं उनके सम्बन्ध में प्रार्थी बीमा कम्पनी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया था और निश्चित तौर पर प्रकरण में पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दूओं की संरचना हुई होगी और वाद बिन्दूओं का निस्तारण भी हो चुका होगा, क्योंकि आक्षेपित आदेश वर्ष 1999 में पारित किया गया था। अब तक प्रतिपक्षी/दावेदारान् द्वारा प्रस्तुत मूल क्लेम प्रार्थना पत्र भी अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका होगा। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की ।मेरे निश्चित मत में अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि आदेश, जो धारा-140, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया था, के विरूद्व यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है तथा प्रतिपक्षी/ दावेदारान् को अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान हो चुका है। इस रिट याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकार याचिका का व्यय स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)